

संख्या-346/सैतीस-2-2015-27(64)/81टी.सी.

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र०, शासना

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक- 04 मार्च, 2015

विषय:- राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की सर्वेक्षण योजना (50 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1339/149/संख्या-2/2014-15, दि०-11.02.2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं०-4690/सैतीस-2-2013-27(64)/81टीसी, दि०-19.02.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विषयांकित योजनान्तर्गत सृजित निम्नलिखित भरे हुए अस्थायी पदों को वर्ष 2014-15 हेतु दि०-28.02.2015 तक क्रमागत रूप से चलते रहने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं, कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त अवधि के पहले भी समाप्त किये जा सकते हैं:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1-	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	17(सत्रह) पद
2-	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	05(पाँच) पद
3-	अन्वेषक-कम-संगणक (नियत वेतन)	25(पच्चीस) पद
योग :		47(सैंतालिस) पद

2- उपरोक्त कार्मिकों को शासनादेश दि०-17.09.86 में उल्लिखित पद अन्वेषक-कम-संगणक के लिए अंकित नियत वेतन ही अनुमन्य होगा, उक्त से विचलन हेतु निदेशक, पशुपालन विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(सुरेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

पु०सं०-346(1)/सैतीस-2-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (2) संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- (3) वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनु०-3।
- (5) पशुधन अनुभाग-1।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 1349 / 149 / संख्या-2 / 2014-15

दिनांक 16-3-2015

प्रतिलिपि:- शासनादेश संख्या-346/सैंतीस-2-2015-27(64)/81 टी.सी. दिनांक 04.03.2015 की प्रति के साथ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बस्ती, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, जालौन, बिजनौर, मथुरा।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,।
3. अपरनिदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, मण्डल लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर,।
4. लेखाधिकारी (बजट) मुख्यालय।
5. निदेशक के वैयक्तिक सहायक, (आहरण एवं वितरण अधिकारी) मुख्यालय।
6. अपर निदेशक ग्रेड-1 (नियोजन), मुख्यालय।
7. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बस्ती, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, जालौन, बिजनौर, मथुरा।


(रुद्र प्रताप)

निदेशक

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।